डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मई, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2020

| वर्ष 63 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों को वर्ष 20-21 में भी मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण

मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संपन्न वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष 2020–21 में भी जारी रखा जाएगा। पिछली सरकार द्वारा इस सुरक्षित सुविधा को बंद जाने पर विचार किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता हैं। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। कोरोना संकट की इस घड़ी में हम किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वर्ष 2018–19 में जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर जो फसल ऋण दिया गया था, उसके भुगतान की तारीख पूर्व में 28 मार्च थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मई 2020 किया गया है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों से 66 लाख एमटी से अधिक गेहूँ उपार्जित : सहकारिता मंत्री श्री राजपूत

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आज शाम 5रू30 बजे तक 4500 खरीदी केन्द्रों पर 66 लाख 76 हजार 282 मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर प्रदेश के 10 लाख 60 हजार 726 किसानों से खरीदा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल उपार्जित गेहूँ के विरूद्ध किसानों को 7014 करोड 83 लाख 40 हजार 819 रूपये का भुगतान किया गया। आज राज्य शासन ने अपने प्रतिदिन के खरीदी लक्ष्य 2.75 मीट्रिक टन से अधिक 2 लाख 80 हजार 545 मीट्रिक टन उपज क्रय की। कुल खरीदे गए मीट्रिक टन में से 83. 49 प्रतिशत यानी 55 लाख 81 हजार 20 एमटी का परिवहन किया गया। किसानों को सफल भुगतान के रूप में 4931 करोड 26 लाख 14 हजार रूपये का सफल भुगतान ऑन लाईन उनके खातों में किया गया।

चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी

मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 893 केन्द्रों में से 624 केन्द्रों पर की गई। उन्होंने बताया कि एक दिन में 3117 खाद्यान का उपार्जन किया गया।

प्रदेश में अब तक कुल 10732 मीट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी के लिए एसएमएस के बाद 10103 किसान खरीदी केन्द्रों पर पहुँचे।

मंत्री श्री राजूपत ने कहा कि लॉक डाउन के कारण किसान को अपनी फसल बेचने के लिए इधर– उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की उपज क्रय करने के लिए उन्हें एसएमएस द्वारा निर्धारित स्थान के साथ दिनांक एवं समय की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि सभी खरीदी केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ अन्य आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राज्य के भंडार गृहों में अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्य भी सुगमता से किया जा रहा है।

श्री आशीष सक्सेना नये आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ

भोपाल। श्री आशीष सक्सेना नये आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बनाये गये हैं। श्री सक्सेना पूर्व में सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग थे। श्री सक्सेना ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। पूर्व में श्री डॉ. एम.के. अग्रवाल, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ थे जिन्हें सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त सह संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सूचना

कोविड-19 के कारण हुए लाकडाउन की वजह से मध्यप्रदेश सहकारी समाचार के अंक 21 से 23 तक प्रकाशित नहीं हो पाये। यह अंक ई-सहकारी समाचार है।

वनोपज संग्राहकों को मिलेगा अच्छा मूल्य : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लघु वनोपज खरीदी व्यवस्था की बैठक सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में वनोपज उपार्जन वनवासियों को राहत प्रदान करेगा। उन्हें उनकी वनोपज का अच्छा मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें नगद भुगतान की सुविधा मिलेगी। यह कार्य आगामी 25 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। तेंदूपत्ता तोड़ाई का कार्य 25 अप्रैल तथा तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 4 मई से प्रारंभ किया जाएगा।

श्री चौहान मंत्रालय मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की वनोपज संग्रहण संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, सचिव जनसंपर्क श्री पी. नरहरि तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

महुआ खरीदेंगे 35 रूपये प्रति किलो

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार संग्राहकों से सरकार 35 रूपये प्रति किलो में महुआ खरीदेगी। गत वर्ष यह मूल्य 30 रूपये प्रति किलो था। संग्राहकों को नकद भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। बताया गया कि प्रदेश में लगभग 75 हज़ार परिवार महुआ संग्रहण का कार्य करते हैं।

समूह में जाएं संग्रहण के लिए

मुख्य सचिव श्री बैंस ने वन विभाग के अधिकारियों को से कहा कि महुआ आदि संग्रहण में वनवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि वे जहां जंगली जानवरों का भय हो, वहां न जाएं। साथ ही संग्रहण कार्य के लिए अकेले न जाएं समूह में जाएं।

संबल योजना से जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वनोपज संग्रहण करने वाले श्रमिकों तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में पंजीकृत किया जाए। ये लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। इसलिये कोई भी छूटे नहीं।

25 अप्रैल से पूर्व करें सारी तैयारियां

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि 25 अप्रैल से पूर्व वनोपज संग्रहण संबंधी सभी तैयारियां वन विभाग सुनिश्चित करले। गांव–गांव में ढोडी पिटवा कर इसकी जानकारी लोगों को दी जाए।

4 मई से प्रारंभ होगी तेंदूपत्ता खरीदी

बैठक में बताया गया कि अभी तेंदूपत्ता हरा है। आगामी 25 अप्रैल से यह तोड़ने लायक हो जाएगा। इसके बाद 4 मई से प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बार शासन द्वारा 19 से 20 लाख तक मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। तेंदूपत्ता की खरीदी दर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, जिन वनोपज समितियों को लाभ होता है, वह बोनस का वितरण अपने सदस्यों को करती हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 1040 लाड़ली लक्ष्मियों के लिए 12.27 करोड़ रूपये के ई-सर्टिफिकेट जारी किये

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1040 प्रकरणों में 12.27 करोड़ रूपये की राशि के ई–सर्टिफिकेट जारी किये। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 2655 हितग्राहियों को 52.12 लाख रूपये की राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक को ऑनलाइन आदेश जारी किए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन एव अन्य संबंधित उपस्थित थे।

बेटी बोझ नहीं वरदान है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से लाड़ली लक्ष्मियों की माताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन्म से लेकर मृत्यु तक बेटियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ वर्ष 2007 में किया गया था तथा अभी तक कुल 35 लाख 35 हजार 28 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत बालिका को छठवीं पास करने पर 2 हजार रूपये, नौवीं पास करने पर 4 हजार रूपये, ग्यारहवीं पास करने पर 6 हजार रूपये, बारहवीं पास करने पर 6 हजार रूपये तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एक लाख रूपये इस प्रकार कुल 01 लाख 18 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा बेटियों को निरूशुल्क किताबों, यूनीफार्म, साईकिल आदि भी दिए जाते हैं। बिटिया की शादी के लिए सहायता दी जाती है तथा संबल योजना के अंतर्गत बच्चे के जन्म से पहले 4 हजार रूपये तथा जन्म के बाद 12 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

अच्छे से पढ़ना, मामा साथ है

मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी आराध्या की माता श्रीमती ज्योति मित्रा शिवपुरी, भूमि की माता श्रीमती पूजा वर्मा खण्डवा, काव्या की माता श्रीमती पूनम शर्मा मुरैना, श्रेया की माता श्रीमती बेलाकली साकेत सीधी तथा ईरा की माता श्रीमती सुल्ताना मोहसिन पन्ना से बातचीत की। श्रेया ने बताया कि वह इस बार नौवीं कक्षा में आ गयी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छे से पढ़ना मामा आपके साथ है।

माताओं को किया वंदन, जरूरत पड़े तो भईया को याद करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हितग्राहियो श्रीमती खुशबू प्रजापति शहडोल, श्रीमती नंदनी नेताम डिण्डौरी, श्रीमती बाली हुरमाड़े बैतूल, श्रीमती रचना जाटव विदिशा, श्रीमती उमा गोपाल उज्जैन से भी वीसी के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने सभी का वंदन किया तथा कहा कि सदैव खुश रहें, जरूरत पड़े तो भईया को याद करें।

कृषक कल्याण पहली प्राथमिकता

नकली खाद–बीज और दवाई बेचने वाले बख्शे नहीं जायेंगे : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। कृषि विकास तथा कृषक कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए प्रदेश के जिलाधिकारियों को बताया कि किसानों का हित और किसानों का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता है। सत्ता परिवर्तन से होने वाले व्यवस्था परिवर्तन का लाभ किसानों को उपलब्ध कराना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश में नकली दवाईयाँ और खाद–बीज बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध राज्य स्तर से कार्यवाही की जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि उप–संचालक कृषि सुनिश्चित कर लें कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद–बीज और दवाईयाँ उपलब्ध हो। नकली खाद–बीज के व्यापार को न केवल रोकना है अपितु जड़–मूल से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ धोखाधड़ी करेगा उनके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

चना–मसूर का उपार्जन उत्पादन अनुसार होगा

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि चना और मसूर का उपार्जन जिलों में होने वाले उत्पादन के अनुसार किये जाने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरसों का उपार्जन 20 क्विंटल प्रति–हेक्टेयर किये जाने के भी निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

योजनाओं को किसानों तक पहुँचायें

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जन–प्रतिनिधियों के सहयोग से विभाग की योजनाओं को आम किसान तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें। किसानों को योजनाओं के बारे में बताएँ, उन्हें समझाएँ जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान का कल्याण और कृषि का विकास तभी होगा जब लाभ सीधे किसानों तक पहुँचेगा।

डॉलर चने की खरीदी के लिये प्रस्ताव भेजेंगे

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर डॉलर चने का उत्पादन हो रहा है। किसानों के लिये यह लाभकारी फसल है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर डॉलर चने की खरीदी के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिये सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

बीज–अनुदान वितरण की वीडियोग्राफी कराएं

अनुसूचित जाति–जनजाति के किसानों को बीज अनुदान योजनाओं के तहत होने वाली बीज वितरण प्रक्रिया की संपूर्ण वीडियोग्राफी कराई जाए। बीज वितरण जन–प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही कराया जाना सुनिश्चित करें। एक भी किसान योजना से लाभान्वित होने से वंचित न रहे।

प्रशस्ति– पत्र और सम्मान निधि मिलेगी

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाले कृषक सम्मानित किये जाएंगे। साथ ही वे अधिकारी जो बेहतर कार्य कर उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार रहेंगे, उन्हें भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

खरीदी केन्द्रों पर बेनर–फ्लेक्स लगाएँ

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। किसानों को आगे बढ़ाना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मात्र एक माह में मंडी एक्ट में संशोधन कर निजी मंडियों की भी स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी है। एकीकृत लायसेंस प्रणाली प्रारंभ कर दी है। ई–ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। किसानों से हम्माली और तुलावटी की राशि नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। किसानों को सौदा–पत्रक के आधार पर व्यापारियों को फसल बेचने की सुविधा दी गई है। किसानों के खाते में फसल बीमा राशि के 2990 करोड़ रूपये जमा कराए गए हैं।

कृषि विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। किसानों की समस्या के निराकरण हेतु कमल सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। उन्होंने प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर किसानों को लाभान्वित करने संबंधी निर्णयों को प्रदर्शित करने वाले बैनर फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिये हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केशरी और संचालक कृषि श्री संजीव सिंह मौजूद थे।

गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया में महिला स्व–सहायता समूहों की भागीदारी

भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 6 जिलों में 16गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूँ खरीदी का कार्य महिला स्व–सहायता समूहों को सौंपा गया है। इन महिला समूहों द्वारा 2200 किसानों से एक लाख क्विंटल से अधिक गेहूँ की खरीदी की गई है। गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह की भागीदारी दर्ज कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कोरोना संक्रमण काल में रोजगार मुहैया कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के रतलाम, जबलपुर, पन्ना, विदिशा, दमोह और गुना जिले में 16 खरीदी केंद्रों पर गेहूँ उपार्जन का कार्य स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही स्व–सहायता समूह के सदस्यों को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड सॉप और अन्य सामग्री निर्माण गतिविधियों से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने का कार्य निरंतर जारी है।

वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूँ का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश की 289 सहकारी समितियों के 1 लाख 81 हजार से अधिक किसानों से उपार्जित 11 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का भंडारण 25 साईलो बैग और स्टील साइलो में किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि साइल बैग ओर स्टील साईलो खाद्यान्न भंडारण की आधुनिकतम तकनीकी है। इस तकनीकी में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें गेहूँ बिना कीटनाशक के उपयोग के भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भोपाल, सीहोर, विदिशा , होशंगाबाद, नागौद , सतना हरदा, उज्जैन और देवास में 50– 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले स्टील साइलो केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता साढ़े चार लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार नागदा , सलमानीया बड़ौदा, पिछोर, बैरसिया श्यामपुर गमाखर, गोहरगंज, शुक्रवारा, बरपटी, हटा, बरछा, मझौली, सारंगपुर, तथा वेदगबा भंडारण केन्द्रों की कुल भंडारण क्षमता 6 लाख 30 हजार मीट्रिक टन है।

सोशल डिस्टेंसिंग की आदर्श व्यवस्था है साइलो बेग

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को बनाए रखने में साइलो बैग पद्धति, भंडारण की आदर्श व्यवस्था सिद्ध हो रही है। इस व्यवस्था में भंडारण का काम न्यूनतम मानव श्रम से संभव हो सका है। इसमें किसान जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली या एक ट्रक में खाद्यान्न लेकर अकेला केन्द्र पर पहुंचता है, तो धर्म–काँटे पर तौल करने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा एक ही बार में उसका पूरा गेहूं भंडारण के लिए खाली करा लिया जाता है।

इस तरह किसान अधिकतम 15 से 20 मिनट के अंदर अपना गेहूँ बेच कर फ्री हो जाते हैं। इस कारण इन केन्द्र पर भीड़–भाड़ होने या अधिक मात्रा में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना नगण्य रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी केन्द्रों पर हैंड वॉश सेनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

उपार्जन में शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन कार्य, मजदूरों संबंधी व्यवस्था, ई–पास कार्य की समीक्षा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूं उपार्जन के अंतर्गत इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया था। लॉक डाउन के बावजूद प्रदेश में यह कार्य तेजी से चल रहा है तथा हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम किसानों की फसल का एक–एक दाना खरीदने के वादे को पूरा करेंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों में फंसे हमारे मजदूरों को वहां से सुगमता पूर्वक प्रदेश लाने का काम भी तेज गति से जारी है। सभी मजदूरों को हम शीघ्र ही प्रदेश वापस लाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं उपार्जन कार्य, मजदूरों संबंधी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

53 लाख 60 हजार एमटी गेहूं खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में अभी तक गेहूं उपार्जन कार्य के अंतर्गत 9 लाख 10 हज़ार किसानों से 53 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। इसमें से 43 लाख 65 हजार एमटी गेहूँ का परिवहन कार्य भी पूरा हो चुका है। किसानों को भुगतान भी तेज गति से किया जा रहा है। अभी तक 5085 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

चना मसूर सरसों खरीदी का कार्य जारी

प्रमुख सचिव कृषि आईपीसी केशरी ने बताया कि प्रदेश में चना मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य जारी है, परंतु कार्य अभी धीमी गति से चल रहा है। यद्यपि पर्याप्त मात्रा में किसानों को एस.एम.एस भेजे गए हैं लेकिन बहुत कम संख्या में किसान फसल बेचने आ रहे हैं।

अगले सप्ताह तक 50 ट्रेनें मजदूरों को लेकर आएंगी

मजदूरों की व्यवस्था के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री आईसीपी के केसरी ने बताया कि अभी तक विभिन्न प्रदेशों से 1 लाख 5 हज़ार मजदूरों को प्रदेश वापस लाया जा चुका है। मजदूरों को वापस लाने का कार्य अब रेल मार्ग से जारी है। अगले सप्ताह तक 50 ट्रेनें मध्यप्रदेश के मजदूरों को लेकर आ जाएंगी। मोरवी से 7 ट्रेनें आएंगी, जिनमें से पहली ट्रेन 9 मई को रवाना होगी।

19000 ई–पास जारी किए गए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सरकार के निर्णय अनुसार विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक नगर/ग्राम से दूसरे में जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए पास जारी किए जा रहे हैं।

प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने बताया कि 19000 ई–पास जारी किए गए। उन्होंने बताया है कि प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई–पास के लिए 42 हजार आवेदन तथा प्रदेश में वापस आने के लिए 50 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

महिलाओं के लिए जीवन शक्ति

कोविड–19 के कारण पूरे प्रदेश का जन–जीवन प्रभावित हुआ लेकिन अगर कोई एक बात प्रभावित नहीं हुई, तो वो थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानसिकता। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी जिद।

शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले तेरह सालों को याद करेंगे, तो महिला सशक्तिकरण के जितने कारगर और प्रभावी कदम उन्होंने उठाए, उतने उनके पहले के पाँच दशकों में शायद ही किसी और मुख्यमंत्री ने उठाए हों। शिवराज ने नवम्बर, 2005 में पहली बार प्रदेश की सत्ता को संभाला था। इस बार भी जब वे मुख्यमंत्री बने, तो लॉकडाउन के कारण शहरों और कस्बों में घरों में काम करके अपने परिवार की जीविका चलाने में सहयोग करने वाली महिलाओं के सामने रोजगार का एक नया संकट खड़ा हो गया था। घरों में साफ–सफाई या खाना बनाने वाली महिलाओं के काम छूट गए थे। ऐसे में शिवराज द्वारा घोषित श्जीवन शक्ति योजनाश्श वाकई में कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए जीवन शक्ति बन गई।

महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी सोच पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता हो। कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद महिलाओं को घर बैठे सम्मानपूर्वक पैसा कमाने का अवसर देने की उनकी सोच वाकई तारीफ के काबिल है। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस का अंत जैसे और जब हो, लेकिन यह तय है कि चेहरे पर मास्क अब हमारी जीवन–शैली का एक लंबे समय के लिए अभिन्न अंग बनने वाला है। मध्यप्रदेश की आबादी आज करीब साढ़े सात करोड़ है और इस आबादी में बड़ी संख्या जाहिर है गरीब तबके की भी है। जीवन सुरक्षा के लिए मास्क तो अब सभी की जरूरत है। शिवराज सरकार ने श्जीवन शक्ति योजनाश्श से श्एक पंथ–दो काजश वाला काम कर दिखाया। कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता भी और कमजोर तबके के लिए सस्ते मास्क भी। जीवन शक्ति योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है।

इस योजना से जुड़ने के लिए शहरी महिलाओं को योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं को मास्क बनाने का आर्डर ऑनलाइन दिया जाएगा। महिलाएँ जब मास्क बनाकर स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगी, तब उसका भुगतान महिलाओं के बैंक खातों में उसी दिन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब तक करीब दस हजार महिलाओं ने न सिर्फ ऑनलाइन पंजीयन करा लिया बल्कि 20 लाख मास्क बहुत जल्दी बनकर आ भी जाएंगे। करीब दस हजार महिलाओं में से हरेक को दो सौ मास्क बनाने का काम सौंपा गया है।

इस योजना के तहत जो महिलाएँ मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानि एक महिला को घर बैठे कम से कम बाईस सौ रुपये कमाने का मौका। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के काम से जोड़ने, घर बैठे उनके लिए काम मुहैया कराना भी है। राज्य के लोगों को यह मास्क सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि श्मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी।श इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा।

सरकार की इस योजना को महिलाओं ने हाथों–हाथ स्वीकार किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में महिला स्व–सहायता समूह की महिला सदस्यों ने बढ़ी संख्या में मास्क तैयार कर दिए हैं। यह मास्क स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल स्टोर और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ महिलाएँ पीपीई किट्स (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट) भी तैयार कर रही हैं।

प्रदेश में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ होते ही उज्जैन की महिला श्रीमती गरिमा महावत ने योजना से जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने महिला स्व–सहायता समूह बनाकर उसने बड़ी संख्या में शहरी महिलाओं को जोड़ा है। गरिमा इस योजना के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध युद्ध में तैनात योद्धाओं के लिये बड़े पैमाने पर मास्क बनाने के लिये संकल्पित हो गई है। श्रीमती गरिमा महावत ने जीवन शक्ति योजना को प्रदेश की महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाने की योजना बताया है। गरिमा मानती हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के माध्यम से शहरी महिला शक्ति को सम्मानित किया है तथा आत्म–निर्भर बनाने की पहल की है।

महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सामने आ गई थी। बेटियों को बचाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके सम्मान के लिए शिवराज ने योजनाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। उनकी राजनीतिक सफलताओं में महिलाओं का इसलिए ही बड़ा योगदान रहा है। इन योजनाओं के जरिए ही शायद शिवराज महिलाओं से चहेते भाई और बच्चों के मामा जैसा व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो गए। शिवराज ने पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं को एक तरह से उनके सशक्तिकरण के एक आंदोलन में ही बदल दिया था। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजना शुरू कर प्रदेश में करीब 35 लाख 35 हजार 28 लाड़ली लक्ष्मी बनाई गईं, जो अब शायद इस योजना के लाभ लेने वाली उम्र के दौर में आ गई होंगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने समाज के गरीब तबकों में शादी जैसे महँगे आयोजन को आसान बना दिया। इसमें शादी के खर्च से लेकर जरूरी दहेज तक के इंतजाम सरकार ने अपने सर लिए।

जननी सुरक्षा योजना से लेकर गाँव की बेटी योजना और स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने जैसे महिला सशक्तिकरण के कई उल्लेखनीय काम शिवराज के खाते में दर्ज हैं। महिला सशक्तिकरण में समाज की भागीदारी को शामिल करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ जैसा आंदोलन खड़ा किया। शिवराज का मानना है कि केवल बेटों से ही वंश का नाम नहीं चलता है, बेटियों से भी वंश का नाम रोशन होता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15 लाख किसानों को ऑनलाइन दिये फसल बीमा के 2,2981.24 करोड़

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981.24 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किये। कोरोना संकट के इस दौर में किसानों के लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी सहायता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, जल–संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी इस मौके पर उपस्थित थे।

सरकार ने जमा कराई 22 सौ करोड़ प्रीमियम की राशि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से कहा कि खरीफ 2018 एवं रबी 2018–19 की फसल बीमा राशि का प्रीमियम किसानों ने तो जमा करवा दिया था, परंतु पूर्व सरकार ने राज्यांश जमा नहीं करवाया था, जिसके कारण किसानों को फसल बीमा के लाभ से वंचित होना पड़ा। श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले राज्य का हिस्सा 22 सौ करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करवाया। इस कारण ही आज प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा की राशि प्राप्त हो रही है।

किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने किसानों के हित के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देना पुनः प्रारंभ कर दिया है। साथ ही, पुराने ऋण की अदायगी की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए 38 करोड़ रूपये ब्याज की राशि सरकार ने जमा कर दी है।

दो हज़ार करोड़ उपार्जन राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन का कार्य तेज़ गति से जारी है। अभी तक प्रदेश में उपार्जन के लिये पंजीकृत 20 लाख किसानों में से 5 लाख 65 हज़ार किसानों ने अपना 28 लाख मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचा है। कल एक ही दिन में सर्वाधिक 58 हज़ार किसानों ने 03 लाख 18 हजार मीट्रिक टन रिकॉर्ड गेहूँ प्रदेश के उपार्जन केन्द्रों पर बेचा है। किसानों को लगभग दो हजार करोड़ रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी भी शुरू कर दी गई है।

खरीफ 2018 तथा रबी 2018–19 की राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत 8 लाख 40 हज़ार किसानों को खरीफ 2018 की फसल बीमा दावा राशि 1921. 24 करोड़ तथा 6 लाख 60 हज़ार किसानों को रबी 2018–19 की दावा राशि 1060 करोड रुपए का भुगतान किया गया है।

अच्छे टाइम पर मिला है पैसा

सीहोर जिले के किसान प्रभात सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में वे बहुत परेशान थे। बीमा का पैसा बहुत अच्छे टाइम पर मिला है। उसे और उसकी पत्नी दोनों को मिलाकर लगभग 2 लाख रूपये की फसल बीमा राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया।

गुना अच्छी है खरीदी व्यवस्था

विदिशा जिले के किसान श्री थान सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसे फसल बीमा की दावा राशि 50 हजार प्राप्त हो गई है। इसके अलावा उपार्जन का पैसा भी मिल गया है। इस बार की उपार्जन व्यवस्था पहले की उपार्जन व्यवस्था से लाख गुना अच्छी है। सभी किसान खुश हैं। भैया लाल दुबे ने बताया कि उन्हें फसल बीमा की 61 हजार रूपये की राशि प्राप्त हो गई है।

मुसीबत के समय बड़ी मदद

होशंगाबाद जिले के किसान श्री अशोक वर्मा ने कहा कि फसल बीमा का पैसा मुसीबत के समय बड़ी मदद है। उन्हें 97 हजार रुपए प्राप्त हुए हैं।

अभी तक सिर्फ पैसा कटने का मैसेज आता था

हरदा जिले के किसान रामशंकर ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे फसल बीमा का पैसा मिलने पर अत्यंत खुश हैं। उन्होंने कहा ष्मामा जी, आपने प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अभी तक हमारे मोबाइल पर सिर्फ पैसा कटने का मैसेज आता था। अब पैसा मिलने का मैसेज आया है। बहुत खुशी हो रही है।

फसल बीमा और उपार्जन दोनों के पैसे मिले

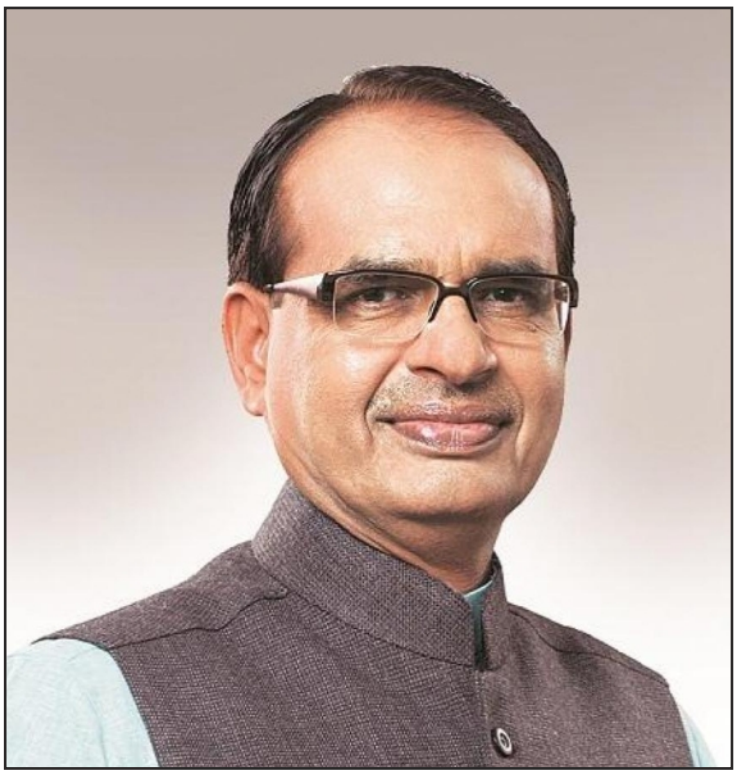

सागर जिले के किसान श्री राकेश कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें सोयाबीन की फसल बीमा की 2 लाख 88 हज़ार राशि मिल गई है। उनकी माताजी द्वारा समर्थन मूल्य पर बिक्री किये गये गेहूँ की राशि एक लाख 80 हजार भी उन्हें प्राप्त हो गई है। संकट की इस घड़ी में यह बहुत बड़ी सहायता है।

दिव्यांशु चतुर्वेदी को मिले ढाई लाख

रीवा जिले के श्री दिव्यांशु चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हें फसल बीमा की 1,23,000 रूपये की राशि प्राप्त हुई है। इतनी ही राशि उनकी पत्नी के खाते में भी आई है। इस प्रकार, उन्हें कुल लगभग ढाई लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। नरसिंहपुर के श्री धूल सिंह लोधी ने बताया कि उन्हें फसल बीमा की 67,900 की राशि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, गोमती बाई लोधी के खाते में फसल बीमा की 61,290 की राशि पहुँच गई है।

आगर जिले को कई सौगातें

आगर–मालवा जिले के किसान श्री प्रहलाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनको सोयाबीन की फसल बीमा की राशि 85 हजार रूपये प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि आपने आगर जिले को कई सौगातें दी हैं, जिससे हम सभी जिलेवासी आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुना जिले के सुंदर लाल ने बताया कि उन्हें फसल बीमा की 84 हजार रूपये की राशि भी मिल गई है।

यह है फसल बीमा योजना

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा आदि अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि, क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं किसानों की आय को सुनिश्चित करना है, जिससे वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सकें।

योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम में बाधित बुवाई– रोपण– अंकुरण, खड़ी फसल का बुवाई से लेकर कटाई तक नुकसान, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान तथा स्थानीय आपदाएँ शामिल हैं।

भोपाल के एक लाख और प्रदेश के 70 लाख लोगों को निःशुल्क त्रिकटु चूर्ण वितरण

भोपाल। भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रभावी और प्रमाणित उपायों को देखते हुए प्रदेश में अब तक लगभग 70 लाख लोगों को त्रिकटु चूर्ण (काढ़ा पाउडर), संशमनी वटी, अणु तेल और आरोग्य कषायम निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। भोपाल के एक लाख से अधिक लोग शामिल हैं। भोपाल में क्षेत्रवार औषधियाँ वितरित की जा रही हैं। कोलार में वितरण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

लघु वनोपज प्र–संस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एस. रावत ने बताया कि आयुष विभाग से अब तक 22 करोड़ 23 लाख रूपये से अधिक के ऑर्डर मिल चुके हैं। ऑर्डर की आपूर्ति के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। पहली बार 3 और 8 अप्रैल 2020 को मिले ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में एम एफ पी पार्क अब तक छह करोड़ 50 लाख 29 हजार 200 रूपये की औषधियों की सप्लाई आयुष विभाग को कर चुका है। इसमें एक लाख 23 हजार त्रिकटु चूर्ण (500 ग्राम), अणु तेल दो लाख 10 हजार (50 एम.एल.), 34 हजार संशमनी वटी (500 ग्राम) शामिल है। शेष औषधि सप्लाई के प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। हाल ही में आयुष विभाग ने 12 करोड़ 54 लाख 29 हजार रूपये मूल्य के 25 हजार नग त्रिकुट चूर्ण और 12 नग आरोग्य कषायम पूर्ति के आदेश भी दिए हैं।

पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उमेश शुक्ला ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए केन्द्रीय आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर ये रोग प्रतिरोधक दवाएं बाँटने के लिए कहा है। श्वसन तन्त्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली ये औषधियाँ विभिन्न अध्ययन और परीक्षण से गुजर चुकी हैं। लॉकडाउन अवधि में इन आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी–बूटियों के प्रयोग, व्यक्तिगत सुरक्षा और एन्टीबायटिक तुरंत ही ले लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण से अस्पतालों में मरीजों की संख्या और सामान्य मृत्यु दर घटी है। कई बीमारियाँ आधुनिक दवाइयों के साइड इफेक्ट की भी देन हैं।

संशमनी वटी में मुख्य रूप से गिलोय होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ बुखार, सर्दी–जुकाम में उपयोगी है। त्रिकटु चूर्ण में सोंठ, पीपली और कालीमिर्च शामिल है जिसका काढ़ा सर्दी–जुकाम में काफी असरदार है। अणुतेल संक्रमण की रोकथाम में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। इसके निर्माण में तिल तेल, नागरमोथा, वायविडंग, कटकारी, इलायची, खस, मुलैठी, दारूहल्दी, तेजपत्ता, देवदारू, दालचीनी, शतावर, जीवन्ती आदि का उपयोग किया जाता है। अणुतेल साइनस, नाक बहना, एलर्जी, नाक एवं गले के शुष्कपन (ड्रायनेस) की रोकथाम करता है।

नोवल कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच आरोग्य सेतु एप : राज्यपाल श्री टण्डन

भोपाल। राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है। वायरस से बचाव के लिए व्यक्तिगत दूरी की सावधानियों को आदत बनाना समय की माँग है। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। इस संकल्प के साथ जीवन के लिए आत्म नियंत्रण और आत्म संयम ही मूलमंत्र है। श्री टंडन आज वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा राजभवन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाऊन लोड करने के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कक्ष में रहते हुए ऐप डाऊन लोड किया। राज्यपाल ने वीडियो कांफ्रेस के द्वारा उनसे चर्चा और ऐप डाऊन लोड करने की कार्रवाई देखी।

राज्यपाल श्री टंडन के कहा कि नोवल कोरोना के साथ जीने की कला को सीखना होगा। नई सामाजिक और कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत दूरी और भीड़ में एकत्रित नहीं होने का संकल्प ले। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह आई.सी.टी. तकनीक के नवाचार करते हुए कार्यालयीन कार्य संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। राज्यपाल को बताया गया कि राजभवन में 30 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के रोस्टर का पालन किया जा रहा है।

राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि हमारा देश ऐसा है जिसने अनेक प्रतिकूलताओं और महामारियों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इस बार भी ऐसा होगा। इस विश्वास और संकल्प के साथ स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का गम्भीरता के साथ पालन करना, हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कोविड–19 के विरूद्ध संघर्ष में हमारी भूमिका का आइना आरोग्य सेतु ऐप है। यह हमें बताएगा कि हमारी क्या स्थिति है। ऐप हमारी आशंका और भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही संक्रमण की अवस्था में आवश्यक सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेगा।

श्री टंडन ने कहा कि नोवल कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परम्परा में हर घर पर उपलब्ध सामग्री से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के तरीके बताए गए हैं। आवश्यकता उनके पालन के लिए संकल्पित होने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन विषम परिस्थितियों में निरन्तर गम्भीर मॉनीटरिंग और गहन चिंतन कर रहे हैं। उनके प्रयासों का परिणाम है कि विशाल स्वरूप वाले हमारे देश में संक्रमण और उसके प्रभावों के आँकड़े नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हैं।

राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप को मोबाईल के प्ले स्टोर में जाकर राजभवन में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम के दौरान डाऊन लोड किया। घर पर उपस्थित कर्मचारियों को भी ऐप को स्वयं एवं परिजनों सहित डाऊन लोड कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजभवन में उन्हीं को प्रवेश देने की व्यवस्था की जा रही है जिनके मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप डाऊन लोड होगा। आईटी प्रभारी श्री जितेन्द्र पाराशर ने बताया कि वीडियो कांफ्रेस का संचालन राजभवन के एन.आई.सी. केन्द्र के द्वारा किया गया।

श्रम विभाग की 18 सेवाएं मिलेंगी अब एक दिन में

अधिसूचना जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार उद्योगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में संशोधन किया गया है। अब श्रम विभाग की 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इन सेवाओं को 30 दिन में देने का प्रावधान था। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम–1958 की धारा–1 की उपधारा(4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय–सीमा में किया जाना, संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय–सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियमन एवं समापित) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण निर्धारित समय–सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय–सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय–सीमा में प्रदाया किया जाना है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय–सीमा में प्रदाय किया जाना है, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व–प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय–सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना, कारखानों में स्व–प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण के संबंध में निर्देश, अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय करने विषयक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करने विषयक, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन प्रदाय करने विषयक, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतगत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिनके पंजीयन प्रमाण–पत्र में संशोधन होना हो, जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीयन की वैधता समाप्त होने वाली हो तथा पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण–पत्र में दर्ज हुई जानकारी में संशोधन भी होना हो (जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 3–ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदाय करने की अवधि एक दिन निर्धारित की गयी है। पंजीयन के लिए आवेदन और आदेश ऑनलाइन होगा।

इन सेवाओं के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का भी पदांकन कर दिया गया है। प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन

भोपाल। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइम सपोर्ट स्कीम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा समिति गठन का आदेश जारी किया गया। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति, प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन, प्रगति तथा दैनिक क्रियान्वयन में आने वाले गतिरोध की समीक्षा करेगी। समिति योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक निर्णय भी लेगी।

समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव खादय् उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल, प्रबंध संचालक म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन भोपाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक भोपाल, संचालक खादय उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुक्त/सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुख्य सूचना अधिकारी एनआईसी भोपाल सदस्य बनाए गए हैं। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल समिति के सदस्य सचिव होंगे।

किसानों से नहीं ली जाएगी हम्माली और तुलावटी की राशि – कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिये समन्वित प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन कार्य में किसानों से मण्डियों में हम्माली और तुलावटी की राशि नहीं ली जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न मण्डियों में हम्माली और तुलावटी की पृथक–पृथक दरें निर्धारित हैं। इन्हें एकीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि रबी उपार्जन के अंतर्गत मण्डी में सौदा–पत्रक के जरिये भी किसान व्यापारियों को सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे।

बीमित राशि का शत–प्रतिशत भुगतान

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों को बीमित राशि का शत–प्रतिशत भुगतान कराएगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2018 की रबी और खरीफ फसलों की बीमा राशि के राज्यांश का भुगतान नहीं किये जाने से किसानों को बीमा का क्लेम नहीं मिल पाया। श्री पटेल ने कहा कि अब राज्य सरकार ने खरीफ का राज्यांश 1695 करोड़ रुपये और रबी का राज्यांश 486 करोड़ रुपये, कुल राशि 2181 करोड़ रुपये का राज्यांश जमा करवा दिया है।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की खरीफ आदान व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उनकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाएगा। प्रदेश में डी.ए.पी., यूरिया आदि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, जो किसानों को सहकारी समितियों एवं व्यापारियों के माध्यम से आसानी से मिल जाएंगे। किसान अपनी खाद, बीज की मांग संबंधित सहकारी संस्था में लिखवा दें। श्री चौहान मंत्रालय में खरीफ आदान व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, संचालक कृषि श्री संजीव सिंह बैठक में उपस्थित थे।

खाद का अग्रिम भंडारण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी संस्थाओं में खाद का अग्रिम भंडारण कर लिया जाए। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है।

कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा को प्रोत्साहित करें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा की फसलों को प्रोत्साहित किया जाए। ये फसलें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं तथा डायबिटीज जैसी बीमारियों में लाभदायक हैं।

खराब बीज न हों, यह सुनिश्चित करें

बैठक में बताया गया कि गत वर्ष सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इस वर्ष सोयाबीन के बीज की कुछ कमी है। इस बार हमारा लक्ष्य 12.15 लाख क्विंटल सोयाबीन बुआई का है, जिसमें से हमारे पास 7.56 लाख क्विंटल सोयाबीन का बीज उपलब्ध है तथा शेष की व्यवस्था की जानी है, जो कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को दिए जाने वाला बीज खराब ना हो। वह उत्तम गुणवत्ता का ही होना चाहिए।

मक्का की फसल को बढ़ावा दिया जाए

बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सुझाव दिया कि सोयाबीन के बीज की कमी को देखते हुए प्रदेश में खरीफ में मक्का को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे सभी किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

जिलेवार समीक्षा करें

सहकारी समितियों एवं निजी क्षेत्रों से किसानों को खाद की आपूर्ति के अनुपात के विषय में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में जिलेवार समीक्षा की जाए, तत्पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

कालाबाज़ारी न हो

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद, बीज आदि की किसी भी हालत में कालाबाजारी ना हो अन्यथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस बार 144.6 लाख हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि इस बार खरीफ के अंतर्गत प्रदेश में 144.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाधिक 60 लाख हेक्टेयर सोयाबीन का लक्ष्य है। धान का लक्ष्य 31 लाख हेक्टेयर, उड़द का लक्ष्य 17.50 लाख हेक्टेयर है, मक्का का 16 लाख हेक्टेयर, कपास का 6.50 लाख हेक्टेयर, अरहर का 4.50 लाख हेक्टेयर, तिल/ राम–तिल का 4.50 लाख हेक्टेयर, मूंगफली का 2.50 लाख हेक्टेयर, मूंग का 2 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन का 0.10 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है।

6.05 लाख मी.टन उर्वरक का अग्रिम भण्डारण

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में प्रमुख उर्वरकों का 6.05 लाख मी.टन अग्रिम भण्डारण कर लिया गया है जबकि इनका लक्ष्य 9.40 लाख मी. टन रखा गया है। यूरिया के 4 लाख मी.टन लक्ष्य के विरूद्ध 1.42 लाख मी.टन, डीएपी 4 लाख मी.टन में से 3.60 लाख मी. टन, कॉम्प्लेक्स 1 लाख मी.टन के विरूद्ध 0.73 लाख मी. टन तथा पोटास 0.40 लाख मी.टन के विरूद्ध 0.30 लाख मी. टन का अग्रिम भंडारण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 8.84 लाख श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किये 88.50 करोड़

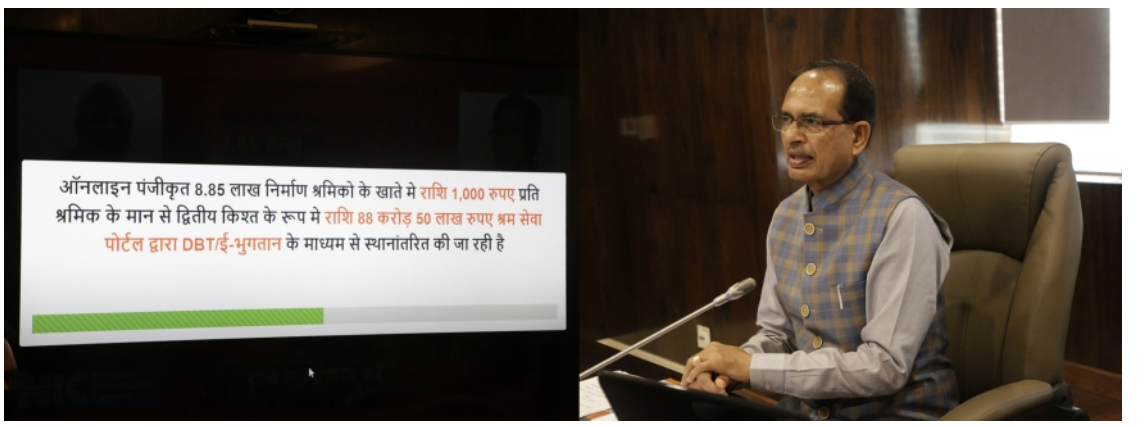

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से निर्माण श्रमिकों से की बात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 8 लाख 85 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से 88.5 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की है। प्रत्येक निर्माण श्रमिक को 1000 रूपये की राशि अन्तरित की गई है। राज्य शासन द्वारा अभी तक कुल 184.6 करोड रुपए आपदा सहायता के रूप में प्रदेश के लॉक डाउन प्रभावित श्रमिकों के खातों में अंतरित किये जा चुके हैं। प्रमुख सचिव श्रम श्री अशोक शाह और मुख्यमंत्री के सचिव श्री एम. सेल्वेन्द्रन इस अवसर पर उपस्थित थे।

दूसरी बार की गई राशि अन्तरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्माण श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में लॉक डाउन की अवधि पुनः बढ़ाए जाने के कारण निर्माण श्रमिकों को यह राशि दूसरी बार अंतरित की गई है। पहले प्रदेश के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को माह अप्रैल की 1000 रूपये प्रति श्रमिक के मान से कुल राशि 88 करोड 50 हज़ार उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।

बाहर फँसे मजदूरों को भी भिजवाई राशि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के मजदूर, जो बाहर के राज्यों में फँसे हैं, उन्हें भी 1000 रूपये प्रति मजदूर के मान से कुल राशि 7.6 करोड़ रुपए 76 हजार मजदूरों को अंतरित की गई है। इसके अलावा, हमारे प्रदेश में फँसे अन्य प्रदेशों के मजदूरों को भी सहायता दी गई है।

राशि और राशन दोनों मिले, मुख्यमंत्री को धन्यवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न जिलों के निर्माण श्रमिकों ने बताया कि उन्हें 2 माह की राशि तथा 3 माह का निरूशुल्क राशन, दोनों मिल गए हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सभी ने मुख्यमंत्री को संकट के समय इस सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने दमोह जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिक दयाशंकर असाटी और आनंद चक्रवर्ती, होशंगाबाद जिले के चंद्र भूषण शर्मा और हरिप्रसाद, अशोकनगर के हरीराम कुशवाहा और मदन लाल के पुत्र, शाजापुर के हंसराज माली, गुना के अमीर शाह, विदिशा के लक्ष्मण सिंह, छतरपुर के दिनेश रायकवार, बुरहानपुर के गणेश सरदार, सिवनी के ईश्वर विश्वकर्मा, मंदसौर के कैलाश माली, उज्जैन के जगदीशजी तथा रतलाम के निर्माण श्रमिक ईश्वर लाल से बातचीत की।

पूरी सावधानी रखें मजदूर भाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मजदूरों से कहा कि वे अपने कार्य–स्थल तथा घर पर पूरी सावधानियाँ रखें। एक–दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। हाथ ना मिलाएं। गले ना मिलें। मास्क लगाएं। बार बार हाथ धोएं। इधर–उधर ना थूकें। कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें। आप सभी के सहयोग से हम कोरोना को शीघ्र हराएंगे।

गरीब जनता की जिंदगी में नया प्रकाश है संबल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री द्वारा 41.33 करोड़ रूपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों की जिंदगी में संबल देने वाली योजना संबल को पुनः प्रारंभ किया। उन्होंने संबल योजना के हितग्राहियों के खातों में 41.33 करोड़ की राशि एक क्लिक पर ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि पुरानी सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी इसलिये संबल योजना पुनरू प्रारंभ कर रहे हैं। योजना के कार्ड रद्द कर दिये थे, अब यह कार्ड फिर काम आयेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, तब मैंने संबल योजना प्रारंभ की थी। संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है, बच्चों का भविष्य है, बुजुर्गों का विश्वास है और माँ, बहन–बेटियों का सशक्तिकरण है। संसाधन कब्जे में होने के कारण कुछ लोग अमीर हो गये परन्तु बड़ी आबादी निर्धन रह गयी। संबल योजना के माध्यम से हम उसी आबादी को न्याय दे रहे हैं जो धनी हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं और जो गरीब हैं उनको सुविधाएँ देते हैं, यही सामाजिक न्याय है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आज 05 मई 2020 को सामान्य मृत्यु के 1698 हितग्राहियों को 33.16 करोड़, दुर्घटना में मृत्यु के 204 हितग्राहियों को 8.16 करोड़ एवं आंशिक स्थायी अपंगता के 1 हितग्राही को 1 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी गयी। श्री चौहान द्वारा हितग्राहियों के खाते में 41 करोड़ 33 लाख की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे उनके खातों में अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना के तहत हितग्राहियों के परिजनों की मृत्यु होने पर 2 लाख अनुग्रह राशि प्राप्त करने वालों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। जिसमें होशंगाबाद के श्री दीपक नामदेव, रतलाम के श्रीमती लीला बाई पंचाल, रायसेन के श्री निर्मल कुमार जैन, छतरपुर की श्रीमती पार्वती साहू, विदिशा की श्रीमती मीना बाई, धार के श्री आनन्द शांति लाल कौशल, टीकमगढ़ की श्रीमती सिम्मा बाई, खरगोन की श्रीमती माया बाई, टीकमगढ़ के श्री मैथली सेन, बड़वानी के श्री गंगाराम से चर्चा कर उन्हें अवगत कराया कि 2–2 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा करा दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना अप्रैल 2018 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2018–19 में 703 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई थी। हमने 20 अप्रैल 2020 को इस योजना को पुनर्जीवित कर मात्र 15 दिन में ही हितग्राहियों के खाते में 41 करोड़ रूपए जमा कर योजना को पुनर्जीवित किया है।

जिंदगी के पहले जिंदगी के बाद "संबल योजना"

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म से मृत्यु तक साथ निभाने वाली इस अभिनव योजना का उद्देश्य गरीब एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत गर्भवती को प्रसव के पूर्व 4 हजार रुपए और प्रसव के पश्चात 12 हजार रुपए हितग्राही को दिए जाएंगे। पोषण आहार दिया जाएगा एवं बच्चों की शिक्षा निरूशुल्क होगी, आठवीं तक निरूशुल्क किताबें, यूनीफार्म, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता में एक लाख रूपये की सहायता देने का प्रावधान है। हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके परिजन को 5 हजार रूपये अंत्येष्टि सहायता और लघु व्यवसाय के उन्नयन में मदद दिलाना था। इस योजना को और अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

12वीं के छात्र–छात्राओं के लिए सुपर फाइव थाउजेंड

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना के तहत हितग्राही सदस्यों के ऐसे 5 हजार बच्चें जो 12वीं में सर्वाधिक अंक लाएंगे उन्हें 30–30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। कक्षा 12वीं के बाद उच्च संस्थानों आई.आई.टी., आईआईएम, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर उनकी फीस की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

खेल कूद में अव्वल छात्रों को प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार द्वारा संबल योजना के हितग्राहियों को खेल–कूद में प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना में पंजीकृत परिवार के ऐसे सदस्य जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते है तो उन्हें 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस अवसर पर गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।

आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ हो

भोपाल। आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाये। उन्होंने आदिवासी युवाओं में रोजगार के अवसर बनाने के लिये कौशल विकास के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने की बात भी कही। आदिम जाति कल्याण मंत्री मंत्रालय में आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को बजट का शत–प्रतिशत उपयोग किये जाने के साथ ही निर्माण कार्य समय–सीमा में पूरा कराये जाने के भी निर्देश दिये।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये महिला स्व–सहायता समूह के कौशल विकास पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। स्व–सहायता समूह द्वारा जिन वस्तुओं को बनाया जा रहा है उनके मार्केटिंग की भी बेहतर व्यवस्था की जाये। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि आदिवासी विभाग के बजट से निर्माण कार्य उन क्षेत्रों में कराये जाये, जिन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी 75 प्रतिशत से अधिक हो।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।